

04.9.19

वकील 9/5/19  
महा कर्मचारी संघ, पूर्व क्षेत्र अखिल  
जाने के ही अखिल अखिल विभागाध्यक्ष  
प्रशासकीय आदेश तलब/अखिल की प्रति  
पत्रादि के दिनांक 07/10/19 को पत्रादि

07.10.19

आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का  
निर्णय लिया है। प्रशासकीय पूर्वानुसार  
दिनांक 20.1.19 को पत्रादि हो।

20.1.19

वकील आधी उद्योग/अखिल की  
प्रति पत्रादि के लिए समूह चार पूर्व  
में अवसर मिले जाकर अखिल अखिल  
की विभागाध्यक्ष के द्वारा पुनः  
अखिल चार प्रशासकीय आदेश तलब/अखिल  
कारिण की जाती है प्रशासकीय आदेश तलब/अखिल  
जायदादा कारिण अखिल अखिल हो

(मुकेश अरिठ)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

